



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 1988/फाल्गुन 24, 1909  
No. 145] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 1988/PHALGUNA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1988

अधिमूचना

का. आ. 259(अ) :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ  
चौरानवेवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में, "योजना आयोग" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 9 के पश्चात् और "टिप्पण" के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।"

आर. वेंकटरामन्  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/22/86-संवि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th March, 1988

#### NOTIFICATION

S. O. 259 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety-fourth Amendment) Rules, 1988.
- (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule under the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOOG)", after entry 9 and before the "NOTE", the following entry shall be inserted, namely :—

"10. National Informatics Centre."

R. VENKATARAMAN  
PRESIDENT

[F. No. 74/2/22/86-Cab.]  
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.